



**उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग**  
**आयोग भवन, हरिद्वार- 249404**  
**www.ukpsc.gov.in**

पत्रांक :: 120/03(12)/डी0आर0/डिग्री/सेवा-02/2017-18

दिनांक :: 20 अगस्त, 2019

**असिस्टेंट प्रोफेसर (संगीत) के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों की सूची**

उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या: 01/03/डी0आर0/सेवा-2/2017-18 दिनांक 04 अगस्त, 2017 द्वारा विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर (संगीत) के रिक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से स्क्रीनिंग परीक्षा तृतीय चरण के अंतर्गत दिनांक 06 मई, 2018 के परीक्षा परिणाम दिनांक 21 अगस्त, 2018 में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित सं0-194/03(ix)/असि0प्रो0/डी0आर0/सेवा-02/2017-18 दिनांक 28 अगस्त, 2018 के सापेक्ष आवेदन पत्र में किये गये दावों के समर्थन में उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त मा0 आयोग द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित किया गया है, जिसका कारण सहित विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अनर्ह घोषित किये जाने का कारण
01	620055	TANUSHRI KUKRETY	अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि <b>Master of Performing Arts (Vocal)</b> में धारित करते हैं। अतः विज्ञापन की शर्तानुसार संबंधित विषय में परास्नातक उपाधि धारित न करने के कारण अनर्ह।
02	620095	SANDHYA YADAV	अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि <b>Master of Performing Arts (Tabla)</b> में धारित करते हैं। अतः विज्ञापन की शर्तानुसार संबंधित विषय में परास्नातक उपाधि धारित न करने के कारण अनर्ह।
03	620139	RITESH KUMAR CHAUDHARY	अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि <b>Master of Performing Arts (Instrumental)</b> में धारित करते हैं। अतः विज्ञापन की शर्तानुसार संबंधित विषय में परास्नातक उपाधि धारित न करने के कारण अनर्ह।
04	620117	VIJAY KUMAR	स्नातक स्तर पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त न करने के कारण अनर्ह।

अनर्ह घोषित अभ्यर्थी दिनांक 30 अगस्त, 2019 (शुक्रवार) तक आयोग कार्यालय में अपना प्रत्यावेदन डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से (कार्यदिवस-सोमवार से शुक्रवार) डाक अनुभाग के काउन्टर पर उपलब्ध करा सकते हैं। प्रत्यावेदन के साथ अपने दावे की पुष्टि हेतु वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर मा0 आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

**S/d**  
**(राजेन्द्र कुमार)**  
**सचिव**